न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : वंदना सिंघवी, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 316/2017

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1– दौलाराम पुत्र नानकराम 2– पदमाराम पुत्र नानकराम जातियान जाट निवासीगण ग्राम खबाणियां तहसील ओसिया जिला जोधपुर		1– हडमानराम पुत्र कुम्भाराम जाट निवासी ग्राम खबणियां तहसील ओसियां जिला जोधपुर 2– श्रीमती उमाकंवर पुत्री कुम्भाराम पत्नी पुखराज सारण निवासी गीगाला तहसील बावडी, जिला जोधपुर 3– छोटी उर्फ सरस्वती पुत्री कुम्भाराम पत्नी भुराराम बेनीवाल निवासी इशरनाडा तहसील खिवसर, जिला नागौर 4– गुडी उर्फ गंगा पुत्री कुम्भाराम पत्नी रमेश ज्याणी निवासी ज्याणियो की ढाणी थोब, तहसील ओसियां जिला जोधपुर 5– आचुकी उर्फ अचकी पुत्री कुम्भाराम निवासी खबाणियां, तहसील ओसियां जिला जोधपुर 6– कुम्भाराम पुत्र नानकराम जाति जाट निवासी ग्राम खबाणियां तहसील ओसियां जिला जोधपुर 7– ग्राम पंचायत किंजरी तहसील ओसियां जरिये सरपंच

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 13–6–2016 जो उपखण्ड अधिकारी ओसियां द्वारा राजस्व अपील संख्या 14/2013 अनवान दौलाराम बनाम श्रीमती सायरी वगैरा मे पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री चेतन राम जाखड अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– श्री रूघाराम चौधरी अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 6 की ओर से ।
3– शेष रेस्पो0 बावजुद तामिल अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांक 22–3–2018

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम खबाणियां की सरहद मे खसरा नंबर 81 रकबा 2.09 बीघा, खसरा नंबर 82/1 रकबा 12.06 बीघा, खसरा नंबर 83/1 रकबा 1.05 बीघा, खसरा नंबर 84/1 रकबा 1.00 बीघा एवं खसरा नंबर 112/1 रकबा 57.13 बीघा कुल 5 खसरान की 74.13 बीघा भूमि खातेदार कुम्भाराम पुत्र नानगराम कौम जाट के खातेदारी की थी । उक्त भूमि मे से खसरा नंबर 112/1 की भूमि मे से 2.01 बीघा भूमि का रजिस्टर्ड बेचान श्रीमती सायरी पत्नी कुम्भाराम जाट को दिनांक 14–6–2010 को किये जाने पर उक्त बेचान दस्तावेज के आधार पर नामांतरकरण संख्या 231 सरपंच ग्राम पंचायत किंजरी द्वारा दिनांक 20–6–2010 को स्वीकृत किया गया । उक्त म्युटेशन की

जानकारी होने पर धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के साथ पेश की, जो रेकर्ड तलबी एवं रेस्पो0 की तामिल मे चल रही थी परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त अपील को बिना अपीलांट को सूचित किये या उनके अधिवक्ता को नोटिस दिये बिना न्याय आपके द्वार अभियान मे रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13–6–2016 के द्वारा अपीलांट की अपील को मयाद बाहर मानकर खारीज कर दिया जाने पर अपीलांट ने यह द्वितीय अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की है ।

उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित । वकील पक्षकारान की बहस सुनी । अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट की बहस सुने बिना ही अपील का निस्तारण करने मे विधिक भूल की है । नियमानुसार अपील दर्ज करने के बाद अपीलांट एवं उनके अधिवक्ता की बहस सुने बिना अपील का मेरिट पर निर्णय पारित नही किया जा सकता है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि उपरोक्त तमाम नामांतरकरणो की अलग–अलग अपीले अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई, जिनमे रेकर्ड तलबी एवं रेस्पो0 की तामिल मे पत्रावलियां चल रही थी परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने बिना अपीलांटगण एवं उनके अधिवक्ता को नोटिस दिये ही कोर्ट की पत्रावलियो को न्याय आपके द्वार अभियान केम्प अटल सेवा केन्द्र किंजरी मे दिनांक 13–6–2016 को ले जाकर उसी दिन अपील के बिना गुणावगुण पर विचार किये केवल मयाद के बिन्दु पर खारीज कर दी, जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्त के विपरीत होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि राजस्व अभियानो मे केवल उन्ही प्रकरणो का निस्तारण किया जा सकता है, जिनमे पक्षकारो की सहमति हो, परंतु वर्तमान प्रकरण मे गंभीर विवाद है जिसका निस्तारण लोक अदालत केम्प मे बिना पक्षकारो की सुनवाई के नही किया जाना था ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि वर्तमान मामले मे अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 31 जो उतराधिकार के आधार पर स्वीकृत किया था तो खातेदार भोमाराम के देहांत के समय उसके मूलाराम, नानकराम एवं विरमाराम नामक तीन लडके मौजुद थे तो एक लडके के नाम म्युटेशन भरा जाकर स्वीकृत किया जो प्रथमदृष्टिया अवैद्य एवं शून्य होने से उसके पश्चातवती सभी नामांतरकरण विधिविरूद्ध होने से निरस्त योग्य थे तथा ऐसे विधिविरूद्ध आदेशो के विरूद्ध मयाद का बिन्दु गौण हो जाता है परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने अपील को केवल मयाद के बिन्दु पर खारीज करने का जो आदेश पारित किया है, जो विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि खातेदार मूलाराम को उपरोक्त अपीलाधीन भूमि मे से अपने 1/3 हिस्से का ही बेचान करने का अधिकार था, उससे अधिक का किया गया बेचान प्रारंभ से ही शुन्य था इसलिए बेचान के आधार पर स्वीकृत किये गये नामांतरकरण संख्या 231 निरस्त योग्य है ।

अंत मे वकील अपीलांट ने उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ओसियां द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13–6–2016 एवं अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 231 को निरस्त कर मृतक खातेदार भोमाराम के सभी विधिक उतराधिकारियो के नाम म्युटेशन स्वीकृत करने के आदेश पारित करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने कथन किया कि रेस्पो0 की ओर से अधीनस्थ न्यायालय मे धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का लिखित जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि गाम पंचायत किंजरी द्वारा नामांतरकरण संख्या 31 दिनांक 29–8–65 को स्वीकार किया था । उक्त नामांतरकरण स्वीकृत होने के बाद अर्जुनराम वगैरा ने मूलाराम के विरूद्ध सहायक कलेक्टर फलोदी के न्यायालय मे बंटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया जिसमे वर्तमान अपीलांट पदमाराम पक्षकार था तथा उक्त वाद के निर्णय की पालना मे म्युटेशन संख्या 39 स्वीकृत हुआ था अथार्त उक्त अपीलाधीन म्युटेशन की जानकारी अपीलांटगण को प्रांरभ से ही थी तथा उक्त म्युटेशन स्वीकृत होने के पश्चात अपीलाधीन भूमि मे से कुछ भाग का रजिस्टर्ड बेचान रेस्पो0 संख्या 1 से 6 की माता एवं पत्नी को कर दिया जिसके आधार पर उक्त म्युटेशन संख्या 231 वर्ष 2010 मे स्वीकृत हुआ था, जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही होना पाया जाता है । परंतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष गलत कथन करते हुए 2010 मे स्वीकृत हुए म्युटेशन के विरूद्ध वर्ष 2013 मे लगभग 3 वर्ष के विलंब से प्रस्तुत अपील को मयाद के बिन्दु पर खारीज करने बाबत जो आदेश पारित किया है, वह विधिसम्मत होने से अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय, अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 231 स्वीकृति दिनांक 20–6–2010 तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली आदि का अवलोकन किया । अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 231 जो कि वर्ष 2010 मे बेचान के आधार पर स्वीकृत हुआ था उसके विरूद्ध लगभग 3 वर्ष के विलब से अधीनस्थ न्यायालय मे म्युटेशन अपील वर्ष 2013 मे स्व0 खातेदार भोमाराम के अन्य पुत्र नानकराम के पुत्रो द्वारा विलंब का कोई ठोस कारण प्रकट किये बिना प्रस्तुत करने से अधीनस्थ न्यायालय ने अपील को मयाद के बिन्दु पर खारीज किया है ।

प्रस्तुत अपील मे अपीलांट अधिवक्ता का मुख्य कथन यह है कि पत्रावली को केम्प कोर्ट मे ले जाने बाबत कोई सूचना रेकर्ड पर नही है, फिर भी पत्रावली मे

पक्षकारो को सुने बिना ही मयाद के बिन्दु पर अपील को खारीज कर दिया, जो विधिसम्मत नही है ।

इस संबंध मे यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील म्युटेशन स्वीकृति के लगभग 3 वर्षो के विलंब से पेश होने से तथा विलंब को क्षमा करने बाबत कोई संतोषप्रद कारण का उल्लेख अपील के साथ प्रस्तुत धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र मे नही होने से अधीनस्थ न्यायालय ने इतनी लंबी अवधि तक अपीलांट द्वारा कोई चाराजोही नही करना न्याय की दृष्टि से क्षम्य योग्य नही होना मानकर नियत तिथी पर पत्रावली को लोक अदालत/ केम्प कोर्ट अटल सेवा केन्द्र किंजरी मे ले जाकर अपील को मयाद के बिन्दु पर खारीज किया है, जिसमे हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नही समझते है ।

अपील के गुणावगुण पर भी देखा जाये तो अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 231 जो कि रजिस्टर्ड बेचान के आधार पर स्वीकृत किया गया है इसलिए जब तक रेस्पो0 के पक्ष मे निष्पादित बेचान के दस्तावेजात को सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा निरस्त नही कर दिया जाता है, तब तक इतने लंबे अंतराल के बाद राजस्व रेकर्ड मे दर्ज इन्द्राजात को म्युटेशन की सरसरी कार्यवाही मे किसी प्रकार का इन्द्राज परिवर्तन किया जाना न्यायसंगत नही है।

बहस के दौरान रेस्पो0 अधिवक्ता ने अवगत कराया कि अपीलांट पदमाराम ने खातेदारी घोषणा का एक नियमित वाद भी उपखण्ड अधिकारी ओसियां के न्यायालय मे प्रस्तुत किया है जिसका अनवान पदमाराम बनाम हनुमानराम वगैरा है, जो विचाराधीन है, तो अपीलांट के हक अधिकारो का निर्धारण तो उक्त विचाराधीन नियमित वाद के निर्णय से ही होना है । म्युटेशन की सरसरी कार्यवाही के जरिये हक अधिकारो का निर्धारण संभव नही है ।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील सारहीन होने से खारीज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ओसियां द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13–6–2016 बहाल रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 22–3–2018 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(वंदना सिंघवी)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर